न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 98/2024
प्रकरण दायर दिनांक 05.07.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक 29.11.2024

उनवान

1. मोतीराम पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी नांगलझामरवाडा तहसील बांदीकुई

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बसवा जिला दौसा

" प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने बाबत अन्तर्गत धारा 128 रा.लैण्ड रेवन्यु एक्ट"

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय से प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि काश्त खाता संख्या नया 109 पुराना 108 खसरा नं. 475, 476, 477, 478, 479, 769 कुल किता 6 कुल रकबा 1.80 हैक्टेयर वाके ग्राम नांगलझामरवाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 769 रकबा 0.80 हैक्टेयर के लगती हुई अन्य खातेदारान की भूमि है तथा प्रार्थी की भूमि खसरा नं. 769 रकबा 0.80 हैक्टेयर व अन्य खातेदारान की भूमि के मध्य कोई सीमा चिन्ह निर्धारित नहीं है इस कारण अन्य खातेदारान व प्रार्थी के मध्य अपनी–अपनी भूमि की सीमा को लेकर आपस में विवाद उत्पन्न होते रहते है तथा संगीन झगडा फसाद की संभावना बनी रहती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी द्वारा अपनी कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 769 रकबा 0.80 हैक्टेयर के सीमाज्ञान के लिए उपतहसीलदार आभानेरी के समक्ष आवेदन किया गया जिस पर दिनांक 28.05.2024 को उपतहसीलदार बडियाल कलां के आदेश कमांक भू.अ./2024/804 दिनांक 17.05.2024 की पालना में ग्राम नांगलझामरवाडा के आराजी खसरा नं. 769 रकबा 0.80 हैक्टेयर का सीमाज्ञान मौके पर पटवारी हल्का नांगलझामरवाडा व अन्य राजस्व कर्मचारियों की टीम ने प्रार्थी व अन्य गवाहन की उपस्थिति में भूमि खसरा नं. 769 रकबा 0.80 हैक्टेयर का सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 769 रकबा 0.80 हैक्ट. वाके ग्राम नांगलझामरवाडा के दिनांकः 28.05.2024 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिससे प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि के अन्य पडौसी खातेदारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 769 रकबा 0.80 हैक्टेयर वाके ग्राम नांगलझामरवाडा की डौल पर पत्थरगढी का आदेश तहसीलदार बांदीकुई को जारी फरमाया जावें एवं शीघ्र ही बईमदाद पुलिस पत्थरगढी के आदेश की पालना फरमाई जावें।

१५६

Scanned with OKEN Scanner

98
2024

प्रार्थी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस की गयी। प्रकरण में नायब तहसीलदार बॉदीकुई एवं बडियाल कलॉ रिपोर्ट दिनांकः 29.11.2024 प्राप्त हुई। नायब तहसीलदार बॉदीकुई एवं बडियालकलां द्वारा न्यायलय में उपस्थित आकर पत्थरगढी करवाये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील बहस सुनी गयी। प्रार्थी प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत् 2073–76 ग्राम नॉगलझामरवाडा खाता संख्या नया 109 पुराना 108, मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम नांगलझामरवाडा दिनांक 28.05.2024 एवं नायब तहसीलदार बॉदीकुई एवं बडियाल कलॉ रिपोर्ट दिनांकः 29.11.2024 का अवलोकन किया। राजस्व जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता संख्या नया 109 पुराना 108 ग्राम नांगलझामरवाडा का प्रार्थी संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं। मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम नांगलझामरवाडा दिनांक 28.05.2024 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थी को एल.आर.एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम नांगलझामरवाडा दिनांक 28.05.2024 एवं नायब तहसीलदार बॉदीकुई एवं बडियाल कलॉ रिपोर्ट दिनांकः 29.11.2024 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बॉदीकुई प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 109 पुराना 108 के खसरा नं. 769 रकबा 0.80 हैक्टे. वाके रामा ग्राम नांगलझामरवाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा का सीमाज्ञान दिनांक 28.05.2024 के अनुसार विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बॉदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बॉदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण दाखल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

29.11.24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 7/11/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
07/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 27/11/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
27/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार, बांदीकुई पत्रावली दिनांक 29/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
29/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। नायब तहसीलदार बांदीकुई एवं पटवार हल्का रिपोर्ट प्राप्त। शामिल पत्रावली की गयी। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील बहस सुनी। प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अ० धारा-128 L.R. Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिख जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 29/11/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई